



कार्यालय—प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611



कृषि वृद्धि
ONE EARTH - ONE FAMILY - ONE FUTURE

पत्रांक— 2218 /12-1 देहरादून : दिनांक: 1) मार्च, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:—जनपद अल्मोडा में तोली से मैचून् मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.215 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROADE/9512/2015)

सन्दर्भ—भारत सरकार का पत्र सं0 -8बी0/यू0सी0पी/05/22/2015/एफ0सी0/436 दिनांक—09.06.2015।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोडा के पत्रांक 2934/12-1 दिनांक 07.02.2025 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर आख्या निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र.सं	अधिरोपित शर्तें	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पातन किये जाने वाले वृक्षों के दस गुना अर्थात् 110 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 1- के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में पातन किये जाने वाले वृक्षों में 10 गुना अर्थात् 110 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू0 2,14,280.00 की धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित करवाकर वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।
2	मोटर मार्ग के निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर सड़क के दोनों ओर तथा Central Verge पर वन विभाग की देख-रेख में वृक्षारोपण एवं उसका 7 से 10 वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाय।	शर्त संख्या 2- के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने व्यय पर मार्ग के दोनों ओर तथा Central Verge पर वन विभाग की देख-रेख में वृक्षारोपण तथा 7 से 10 वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा। इस आशय का लोक निर्माण विभाग द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जा रहा है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं-5-3/2007-एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 3- के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में 1,41,255.00 (एक लाख इक्कीस हजार दो सौ पचपन मात्र) एन0पी0वी0 की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा CC3700162909 150010 date 14.09.2015 द्वारा जमा कर दी गयी है।

4	<p>शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बढ़ता प्रस्तुत की जाए।</p>	<p>शर्त संख्या 4—के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 एवं पत्र संख्या-5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की पुनरीक्षित (नवीन) दरों के तहत रू0 74,865.00 की अतिरिक्त धनराशि ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा कर दिया है</p> <p>भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार 10 गुना अर्थात् 110 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु धनराशि रू0 2,14,280.00 एवं एन0पी0वी0 रू0 74865.00 धनराशि कुल रू0 2,89,145.00 (दो लाख नवासी हजार एक सौ पैतालीस मात्र) की धनराशि ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा कर दिया है।</p>
5	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 का कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल,सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली में जमा कराया जाय एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाय।</p>	<p>शर्त संख्या 5— के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से अवगत कराया है कि एन0पी0वी0 की धनराशि 1,41,255.00 (एक लाख इक्चालीस हजार दो सौ पचपन मात्र) कारपोरेशन बैंक की लोधी रोड दिल्ली शाखा में CC3700162909150010 date 14.09.2015 द्वारा जमा कर दी गयी है तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार धनराशि 2,89,145.00 (दो लाख नवासी हजार एक सौ पैतालीस मात्र) की धनराशि भी दि0 30.12.2024 को जमा कर ली गयी है।</p>

अतः अनुरोध है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।
संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या : 2216 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

(आर0के0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com

Phone/Fax :- (05962) 230229

पत्रांक ११३४ / १२-१

दिनांक, ०१/०१/२०२५

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
नोडल अधिकारी, वन संरक्षक,
इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद अल्मोड़ा में तोली से मैचून् मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.215 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(FP/UK/ROADE/9512/2015)

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्र सं० -८वी०/यू०सी०पी०/०५/२२/२०१५/एफ०सी०/४३६
दिनांक-०९.०६.२०१५।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र द्वारा जनपद अल्मोड़ा में तोली से मैचून् मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.215 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति के कुछ शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है। अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अल्मोड़ा ने अपनी पत्र सं० 332/3 सी० 31.01.2025 से अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या उपलब्ध की गयी है, जिसे निम्नानुसार बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित की जा रही है-

1- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पातन किये जाने वाले वृक्षों के दस गुना अर्थात् 110 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 1- के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में पातन किये जाने वाले वृक्षों में 10 गुना अर्थात् 110 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित करवाकर वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।
2- मोटर मार्ग के निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर सड़क के दोनों ओर तथा Central Verge पर वन विभाग की देख-रेख में वृक्षारोपण एवं उसका 7 से 10 वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाय।	शर्त संख्या 2- के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने व्यय पर मार्ग के दोनों ओर तथा Central Verge पर वन विभाग की देख-रेख में वृक्षारोपण तथा 7 से 10 वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा। इस आशय का लोक निर्माण विभाग द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जा रहा है।
3- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं-5-3/2007-एफ०सी० दि० 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 3- के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में 141255.00 (एक लाख इक्कालीस हजार दो सौ पचपन मात्र) एन०पी०वी० की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा CC3700162909150010 date 14.09.2015 द्वारा जमा कर दी गयी है।
4- शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शर्त संख्या 4- के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार धनराशि 2,89,145.00 (दो लाख नवासी हजार एक सौ पैंतालीस मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा कर दी गयी है। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

5- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 का कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल,सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली में जमा कराया जाय एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाय।

शर्त संख्या 5- के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि एन0पी0वी0 की धनराशि 1,41,255.00 (एक लाख इक्चालीस हजार दो सो पचपन मात्र) कारपोरेशन बैंक की लोधी रोड दिल्ली शाखा में CC3700162909150010 date 14.09.2015 द्वारा जमा कर दी गयी है तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार धनराशि 2,89,145.00 (दो लाख नवासी हजार एक सौ पैतालीस मात्र) की धनराशि भी दि0 30.12.2024 को जमा कर ली गयी है। (संलग्न)

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा किजीएगा।

संलग्न:- मूल में तीन प्रति।

भवदीय



(दीपक सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल सोयम वन प्रभाग,
अल्मोडा।

पत्रांक 2934 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक उत्तरी कुमांऊ वृत्त उत्तराखण्ड अल्मोडा को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न:-मूल में एक प्रति।



(दीपक सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल सोयम वन प्रभाग,
अल्मोडा।


प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 1)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा में तोली से भैचून मोटर मार्ग का निर्माण।
(FP/UK/ROADE/9512/2015)


प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में पातन किये जाने वाले वृक्षों में 10 गुना अर्थात् 110 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित करवाकर वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।




अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

कार्य का नाम- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत तोली से मैचून् मोटर मार्ग का निर्माण

काटे जाने वाले पेड़ों के एवज में दस गुना वृक्षों अथवा न्यूनतम 100 वृक्षों के रोपण हेतु प्रांकलन मय रख-रखाव

है०

0.215


रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या


22


क्र० सं०	कार्य का नाम	इकाई (है०/सं०)	इकाई दर (₹)	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.215	209.00	44.94
2	क्षेत्र की सफाई (शाही कटान आदि कार्य)	0.215	1259.00	270.69
3	अग्रिम दीवार बन्दी 100 घन मी०/है०	0.215	67900.00	14598.50
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यों हेतु प्राविधान	0.215	28750.00	6181.25
5	गड़ड़ा खुदान (0.30X0.30X0.45)	22	15.80	347.60
6	निरीक्षण बटिया बनाना	0.215	1046.00	224.89
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	22	15.90	349.80
8	अन्य व्यय	0.215	2500.00	537.50
9	अन्य कार्य	0.215	1527.00	328.31
योग :- (प्रथम चरण)				22883.47
द्वितीय चरण				
1	गड़ड़ा भरान (0.30X0.30X0.45)	22	2.48	54.56
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	22	2.70	59.40
3	पौध दुलान कार्य	22	12.17	267.74
4	पौधा रोपण व थापलाबन्दी	22	4.44	97.68
5	निराई, गुड़ाई व मल्विंग (दो बार)	22	1.64	36.08
6	खाद व दवा पर व्यय	22	0.45	9.90
7	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रख-रखाव	0.215	78900.00	16963.50
8	सुरक्षा दीवार/घेरवाड के बाहर 4मी० की पट्टी साफ करना	0.215	318.00	68.37
9	अन्य व्यय	0.215	2500.00	537.50
10	अन्य कार्य	0.215	1527.00	328.31
योग :- (द्वितीय चरण)				18423.04
कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण				41306.50
वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुसंधान कार्य	0.215	78900.00	16963.50
2	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4मी० पट्टी साफ करना	0.215	250.00	53.75
3	अन्य कार्य	0.215	1527.00	328.31
योग :- (प्रथम वर्ष रख-रखाव)				17345.56
वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुसंधान कार्य	0.215	78900.00	16963.50
2	अन्य कार्य	0.215	1527.00	328.31

2	अन्य कार्य		0.215	1527.00	328.31
योग :- (द्वितीय वर्ष रख-रखाव)					
वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य		0.215	78900.00	16963.50
2	अन्य कार्य		0.215	1527.00	328.31
योग :- (तृतीय वर्ष रख-रखाव)					
वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य		0.215	78900.00	16963.50
2	अन्य कार्य		0.215	1527.00	328.31
योग :- (चतुर्थ वर्ष रख-रखाव)					
वृक्षारोपण का पांचवें वर्ष का रख-रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पांचवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य		0.215	78900.00	16963.50
2	अन्य कार्य		0.215	1527.00	328.31
योग :- (पंचम वर्ष रख-रखाव)					
वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य		0.215	78900.00	16963.50
2	अन्य कार्य		0.215	1527.00	328.31
योग :- (छठे वर्ष रख-रखाव)					
वृक्षारोपण का सातवें वर्ष का रख-रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य		0.215	78900.00	16963.50
2	अन्य कार्य		0.215	1527.00	328.31
योग :- (सातवें वर्ष रख-रखाव)					
वृक्षारोपण का आठवें वर्ष का रख-रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य		0.22	78900.00	16963.50
2	अन्य कार्य		0.215	1527.00	328.31
योग :- (आठवें वर्ष रख-रखाव)					
वृक्षारोपण का नवें वर्ष का रख-रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य		0.215	78900.00	16963.50
2	अन्य कार्य		0.215	1527.00	328.31
योग :- (नवें वर्ष रख-रखाव)					
वृक्षारोपण का दसवें वर्ष का रख-रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य		0.215	78900.00	16963.50
2	अन्य कार्य		0.215	1527.00	328.31
योग :- (दसवें वर्ष रख-रखाव)					
कुल योग :-					17291.81
या :-					214278.30
					214280.00

नोट :- उक्त अंकित दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि स्तर ही मानी जायेगी


AAE
CD PWD
ALMORA




AE
CDPWD
ALMORA



EE
CDPWD
ALMORA
AKash


प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 2)


कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा में तोली से मैचून मोटर मार्ग का निर्माण।
(FP/UK/ROADE/9512/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने व्यय पर मार्ग के दोनों ओर तथा Central Verge पर वन विभाग की देख-रेख में वृक्षारोपण तथा 7 से 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा।


अमीन 
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० ३)


कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा में तोली से मैचून मोटर मार्ग का निर्माण।
(FP/UK/ROADE/9512/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में 141255.00 (एक लाख इक्चालीस हजार दो सो पचपन मात्र) एन०पी०वी० की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा यू०टी०आर० नं० SBIN 715258556151 date 14.09.2015 द्वारा जमा कर दी गयी है।


अमोन Akash
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा




सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 4)


कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा में तोली से मैचून मोटर मार्ग का निर्माण।
(FP/UK/ROADE/9512/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार धनराशि 2,89,145.00 (दो लाख नवासी हजार एक सौ पैंतालीस मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा कर दी गयी है। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।


अमीन 
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा




सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 5)


कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा में तोली से मैचून मोटर मार्ग का निर्माण।
(FP/UK/ROADE/9512/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में एन०पी०वी० की धनराशि 1,41,255.00 (एक लाख इक्चालीस हजार दो सो पचपन मात्र) कारपोरेशन बैंक की लोधी रोड दिल्ली शाखा में CC3700162909150010 date 11.09.2015 द्वारा जमा कर दी गयी है तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार धनराशि 2,89,145.00 (दो लाख नवासी हजार एक सौ पैतालीस मात्र) की धनराशि भी दि० 30.12.2024 को जमा कर ली गयी है। (संलग्न)


अमीन 
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


PROFORMA OF DEPOSIT OF FUNDS IN ADHOC CAMPA


Name of Proposal:-जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून तक लिंक मार्ग निर्माण।



भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या- 8बी0/यू0सी0पी0/06/22/2015/एफ0सी0/436दिनांक-09.06.2015

1	Name of Regional Office	Regional Office, Dehradun
2	State /Distt/Forest Division to which the proposal relates	Uttarakhand/ Almora/civil avm Soyam Forest Division/ Almora
3	Name of User Agency, Nature of Proposal	Construction Division, PWD Almora
4	Extent of forest area involved	0.215 Hec.
5	Whether original, or extension	Original
6	If extensions of lease, Pl clarify if proposal involves additional Forest area, and if so, specify	-
7	Date of 1st stage clearance	Dt 09.06.2015
8	Extent of CAMPA Charges, Head wise Viz	-
a	Compensatory Afforestation	-
b	Additional CA	-
c	Panel CA	-
d	Catchment Area Treatment	-
e	Wild Life Management Plan	-
f	Additional Charges for Diversion of area falling under notified/protected areas.	-
g	Net Present Value	Rs. 1,41,255.00
h	Any other charges/ levies (PI Specify) Blank Spaces Plantation. Road side Plantation	
	Total	Rs. 1,41,255.00
9	Details of Bank (Bank, Draft No. Date & Amount), Head Wise against items indicated in paragraph 8 avobe	Deposited BY RTGS
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	Cheque No. 3700162909150010 date 14.09.2015 Rs. 1,41,255.00
11	Bank (Corporation bank, Lodhi complex/ Union Bank of India, sunder Nagar) in which deposited with date of deposition	Union Bank of India,
	Any other Remarks	-

प्रमाणित प्राप्ति


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
अल्मोड़ा।



सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
अल्मोड़ा


Executive Engineer,
Construction Division,
P.W.D., ALMORA


0/24, 6:44 PM

Challan

AGENCY COPY

यूनियन बैंक  Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund
Date : 30-12-2024

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA
PIF/Application No.	6195120289
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/22/2015
Address.	Construction Division PWD Almora Almora
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eecdalmorapwd@rediffmail.com 9759892120 5962-230091
Amount(in Rs)	289145/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027


Amount in Words: Two Lakh Eighty-Nine Thousand One Hundred and Forty-Five Rupees Only

Depositor Signature (Signature) Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
---------------------------	--------------

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

CAMPA-MOEF Copy

यूनियन बैंक  Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund
Date : 30-12-2024

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA
PIF/Application No.	6195120289
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/22/2015
Address.	Construction Division PWD Almora Almora
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eecdalmorapwd@rediffmail.com 9759892120 5962-230091
Amount(in Rs)	289145/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words : Two Lakh Eighty-Nine Thousand One Hundred and Forty-Five Rupees Only

Depositor Signature (Signature) Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
---------------------------	--------------

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter mobile number in Additional Information 2



After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdesi

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankof

6016020250113888129

प्रमाणित प्रति

सहायक अभियन्ता
निम्नर्ण खण्ड, लो० मि० वि०
अमोड़ा

https://forestsclearance.nic.in/useraccount/GenerateChallan